



राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गाँधी ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर - 302005 (राज.)

फोन नं. 0141-2228066 2228064 फैक्स नं. 0141-2228065 वेबसाइट : www.rmssc.health.rajasthan.gov.in
साइट नं. : U24232RJ2011SGC035067 ई-मेल : edprocurement@gmail.com एवं rmssc@nic.in

क्रमांक : एफ.02(217)/आरएमएससीएल/प्रोक्यू/ड्रग/NIB - 20/2016/166

दिनांक 31.1.2017

कार्यालय आदेश

औषधियों की दर संविदा के लिये आरएमएससीएल द्वारा बिड क्रमांक F. 02(217) / RMSCL /PROCUREMENT/DRUG/NIB-20/2016/1543 Dated:15.12.2016 आमंत्रित की गई एवं तकनीकी बिड दिनांक 31.01.2017 को खोली गई थी। इस बिड में मैसर्स Centurion Laboratories, Div of Centurion Remedies Pvt. Ltd., Baroda ने भाग लिया था।

क्रय समिति की बैठक दिनांक 02.03.2017 में लिये गये निर्णय के क्रम में बिड में प्रस्तुत औषधियों के दस्तावेजों का सत्यापन जारी करने वाली सस्थां Commissioner food & Drug control administration Gandhi nagar Gujarat state से करवाया गया।

Commissioner, FD CA, Gandhi Nagar, Gujrat द्वारा दिनांक 10.07.2017 को जारी पत्र में निगम को अवगत कराया कि बिड में प्रस्तुत मार्केट स्टेपिंग प्रमाण पत्र न. No.Certi/Centurion /2016/J2/143901 दिनांक 09.01.2017, इस कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया गया है।

प्रकरण दिनांक 31.10.2017 को हुई अनुशासनात्मक समिति की बैठक में रखा गया जिसमें फर्म का प्रतिनिधि उपस्थित हुआ। फर्म को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु 29.12.2017 को प्रबन्ध निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर दिया गया लेकिन फर्म द्वारा जाली दस्तावेज के सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के उपरान्त अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 15.01.2018 में प्रकरण पुनः रखा गया। अनुशासनात्मक समिति द्वारा इसे आरएमएससीएल की बिड शर्त संख्या 5(j), Annexure IX (ON SUBMISSION OF FALSE, FORGED OR FABRICATED DOCUMENTS OR CONCEALING OF FACTS): The Bidder who submits false, forged or fabricated documents or conceals facts with intent to win over the Bid or procure purchase order; Bid Security Deposit of such Bidder firm will be forfeited and firm will be liable for blacklisting for a period of not Less than 2 years. The firm will also be liable for Legal action depending on the facts & circumstances of the case. का उल्लंघन तथा यह RTPP act 2012 के अनुसार Section 46(3) व Section 11 के Sub Section 2(II) की श्रेणी में आने के कारण निम्न कार्यवाही की जाने की अभिशांषा की गई।


- (1.) NIB-20/2016 के अन्तर्गत जारी फर्म Centurion Laboratories, Div of Centurion Remedies Pvt. Ltd., Baroda के अनुमोदित समस्त उत्पादों की दर संविदा निरस्त की जावें।

(Handwritten signature)


- (2.) फर्म को तीन वर्ष के लिए Debar/ Blacklist किया जावे।
- (3.) फर्म की Bid Security जब्त की जावे यदि Bid Security नहीं है तो जमा प्रतिभूति राशि में से कटौती की जावे।
- (4.) Centurion Laboratories, Div of Centurion Remedies Pvt. Ltd., Baroda के साथ नवीन दर संविदायें स्थगित की जावे। ब्लैक लिस्ट में कोई संविदा निष्पादित नहीं की जावे।
- (5.) फर्म के अन्य निविदाओं में अनुमोदित आइटमों के सम्बन्ध में किये गये अनुबन्धों को भी निरस्त किया जावे।

अतः अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 15.01.2018 की संस्तुतियों के दृष्टिगत एलए-द्वारा निम्न निर्णय लिया जाता है:-

1. फर्म Centurion Laboratories, Div of Centurion Remedies Pvt. Ltd., को आरएमएससीएल की निविदाओं में भाग लेने के लिये तीन वर्ष के लिये विवर्जित किया जाता है।
2. फर्म की समस्त संविदाओं को निरस्त करते हुये जमा प्रतिभूतियों को जब्त किया जावे।


 प्रबन्ध निदेशक 31.1.18
 आरएमएससीएल

क्रमांक : एफ.02(217)/आरएमएससीएल/प्रोक्यू./ड्रग/NIB-20 / 2016/166 दिनांक 31.1.2018
 प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक, एन.एच.एम, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पी.एच/आर.सी.एच/एच.ए/ए.आई.डी.एस/एम.एस.यू/आई.ई.सी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
6. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सीएल।
7. कार्यकारी निदेशक, (वित्त), आरएमएससीएल।
8. कार्यकारी निदेशक (क्यू. सी.), आरएमएससीएल।
9. विशेषाधिकारी, आरएमएससीएल।
10. सम्बन्धित निविदादाता मैसर्स Centurion Laboratories, Div of Centurion Remedies Pvt Ltd
 G/5-6& F-19 Industrial Estate, Gorwa , Baroda 390016
11. AGM (IT), RMSC.
12. 

कार्यकारी निदेशक (पी)
 आरएमएससीएल